

सेवा में,

श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय,  
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।

**विषय: Unfair Means Case (UMC) के निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु अपील बारे।**

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन यह है कि मैं .....

पुत्र / पुत्री श्री ..... रोल नंबर .....

कक्षा ..... महाविद्यालय ..... का/की छात्र/छात्रा हूँ।

परीक्षा के दौरान मेरा Unfair Means Case बन गया था। और उक्त केस की UMC कमेटी की मीटिंग दिनांक .....को हो चुकी है और जिसमें मेरे केस नंबर.....का निर्णय .....है।

UMC कमेटी के इस निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और इस UMC निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु अपील करना चाहता/चाहती हूँ जिससे कि मैं कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रख सकूँ और कमेटी मुझे दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर सके।

अतः कृपा करके मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे UMC कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने का एक और मौका दिया जाए।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित)

संलग्न: (निर्धारित फीस 1000/-रूपये)

नाम.....

रसीद नंबर..... दिनांक.....

रोलनंबर.....

स्थाई पता.....

.....

मोबाईल नंबर.....

.....

**नोट:-** विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट ([www.cdlu.ac.in/examinations/unfair means case](http://www.cdlu.ac.in/examinations/unfair means case)) पर UMC (अनुचित साधनों के प्रयोग पर केस) की लिस्ट तथा मीटिंग की तिथि और कमेटी का निर्णय देख सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी कमेटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह कमेटी के निर्णय की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30दिनों के भीतर निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए परीक्षा नियंत्रक को रूपये1000/-के निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार के पुनर्विचार के आवेदन केवल एक ही बार तथा अधिसूचना जारी होने की दिनांक के 30दिनों के अंदर ही किया जा सकेगा। 30दिनों के बाद प्राप्त आवेदन या दोबारा किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।